



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122025-268687
CG-DL-E-20122025-268687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5713]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28, 1947

No. 5713]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5910(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3577(अ) तारीख 31.07.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.08.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में सिलचर - पानीसागर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्याम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कटिगोराह	नतनपुर ग्रांट	नतनपुर ग्रांट	63	00	05	22
कटिगोराह	करबाले ग्रांट	करबाले ग्रांट	9	00	02	00
			5	00	08	27
			6	00	02	58
			258	00	15	65
			9	00	05	68
			7	00	00	90
			2	00	08	22
			3	00	05	71
			6	00	03	00
			8	00	04	87
कटिगोराह	नतनपुर	नतनपुर	217	00	02	28
कटिगोराह	गुमराह ग्राम	गुमराह ग्राम	201	00	00	99
			202	00	01	79
			203	00	00	73
कटिगोराह	तारापुर	तारापुर	413	00	04	47
			405	00	03	45
			360	00	04	43
			361	00	04	25

कटिगोराह	पीरनगर	पीरनगर	62	00	02	37
			73	00	07	02
			85	00	00	96
कटिगोराह	महादेवपुर I	महादेवपुर I	302/149	00	06	25
			246/171	00	10	77
			245/168	00	01	01
कटिगोराह	महादेवपुर II	महादेवपुर II	40	00	02	37
कटिगोराह	सरसपुर	सरसपुर	240	00	03	10
			241	00	28	59
			76/241			
			321	00	04	27
			298/321			
कटिगोराह	खेलमा III	खेलमा III	91	00	01	46
			145/91			
			135	00	04	06
			393/135			
कटिगोराह	चाँदीनगर IV	चाँदीनगर IV	24	00	04	65
			27	00	04	24
			120	00	64	18
			130/ 214	00	06	86
			130/ 216	00	04	73
			130/ 205	00	26	68
			10/130	00	18	02
			130/ 191	00	11	77
			130/ 203	00	16	31
कटिगोराह	चाँदीनगर III	चाँदीनगर III	92	00	25	10
कटिगोराह	चाँदीनगर VI	चाँदीनगर VI	2	00	05	38
			4	00	43	01
			5	00	22	46
			8	00	84	69
			11	00	02	75

कटिगोराह	टेलिटिकर I	टेलिटिकर I	1	00	02	24
			47			
			21/47	00	05	62
			21	00	47	48
			11/102	01	09	86
			39	00	04	62
कटिगोराह	टेलिटिकर II	टेलिटिकर II	266	00	01	90
			284	00	01	83
कटिगोराह	मदारपुर	मदारपुर	430	00	50	85
			161	00	02	45
			157	00	01	07
			127	00	01	68
			175	00	13	75

[फा. सं. एल – 14014/14/2023 - जीपी- II(ई - 46938)]

रामजी लाल मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 5910(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3577(E) dated the 31.07.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04.08.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Silchar - Panisagar Section of North East Natural Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Cachar			State: Assam			
Circle	Mauza	Village	Dag No.	Area		
				Hec.	Arc	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Katigorah	Natanpur Grant	Natanpur Grant	63	00	05	22
Katigorah	Karaballe Grant	Karaballe Grant	9	00	02	00
			5	00	08	27
			6	00	02	58
			258	00	15	65
			9	00	05	68
			7	00	00	90
			2	00	08	22
			3	00	05	71
			6	00	03	00
			8	00	04	87
Katigorah	Natanpur	Natanpur	217	00	02	28
Katigorah	Gumrah Gram	Gumrah Gram	201	00	00	99
			202	00	01	79
			203	00	00	73
Katigorah	Tarapur	Tarapur	413	00	04	47
			405	00	03	45
			360	00	04	43
			361	00	04	25
Katigorah	Pirnagar	Pirnagar	62	00	02	37
			73	00	07	02
			85	00	00	96
Katigorah	Mahadevpur Pt-1	Mahadevpur Pt-1	302/ 149	00	06	25
			246/ 171	00	10	77
			245/ 168	00	01	01
Katigorah	Mahadevpur Pt-2	Mahadevpur Pt-2	40	00	02	37
Katigorah	Saraspur	Saraspur	240	00	03	10
			241	00	28	59
			76/ 241			
			321	00	04	27
			298/ 321			
Katigorah	Khelma Pt-3	Khelma Pt-3	91	00	01	46
			145/ 91			
			135	00	04	06
			393/ 135			
Katigorah	Chandinagar Pt-4	Chandinagar Pt-4	24	00	04	65
			27	00	04	24
			120	00	64	18
			130/ 214	00	06	86
			130/ 216	00	04	73
			130/ 205	00	26	68
			10/130	00	18	02
			130/ 191	00	11	77
			130/ 203	00	16	31
Katigorah	Chandinagar Pt-3	Chandinagar Pt-3	92	00	25	10
Katigorah	Chandinagar Pt-6	Chandinagar Pt-6	2	00	05	38

			4	00	43	01
			5	00	22	46
			8	00	84	69
			11	00	02	75
Katigora	Telikar Pt-1	Telikar Pt-1	1	00	02	24
			47			
			21/47	00	05	62
			21	00	47	48
			11/102	01	09	86
			39	00	04	62
Katigora	Telikar Pt-2	Telikar Pt-2	266	00	01	90
			284	00	01	83
Katigora	Madarpur	Madarpur	430	00	50	85
			161	00	02	45
			157	00	01	07
			127	00	01	68
			175	00	13	75

[F. No. L – 14014/14/2023 - G P – II(E - 46938)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.